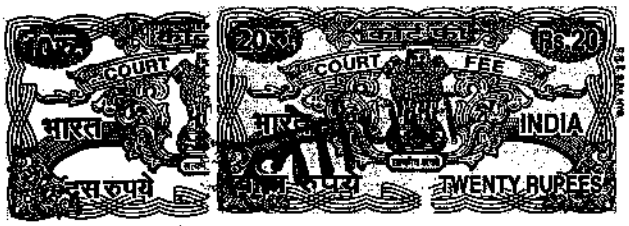

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी मुन्नालाल साहू
नि०ग्राम लचक्याई तह. व जिला सागर
.......आवेदक

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सागर म.प्र. के प्रकरण क्रमाँक 456/अ–23/2005–06 में पारित आदेश दि.27–05–2008 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार राहतगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी के तहत प्रकरण पंजीवद्ध कर आवेदक को विधिवत सुनवाई का अवसर/सूचनापत्र जारी किए बिना एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर कयशुदा भूमि को शासन में निहित किए जाने का विवादित आदेश पारित किए जाने से परिवेदित होकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

3. यह कि, विवादित भूमि खसरा नंबर 193, 194/2, 195/2 रकवा 1.39 हे0, का पट्टा वर्ष वर्ष 80–81 में प्रदान किया गया था जिसे भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरांत 10/4/90 को आवेदिका को रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर विकय किया गया है इस कारण प्रस्तावित कार्यवाही इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है। भू–राजस्व संहिता की धारा 165(7–ख) में संशोधन के प्रावधान अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई भी पट्टेदार अपनी भूमि विकय नहीं कर सकता परंतु इस प्रावधान में संशोधन धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई पट्टेदार 10 वर्ष बाद अपनी भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विकय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के कर सकता है।

भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7–ख) का उल्लंघन होने से विवादित आदेश पारित किया है, जबकि "धारा 165(7–ख) में किए संशोधन से स्पष्ट है, **कि ऐसे संशोधन द्वारा धारा 158 में किए गए संशोधन** की धारा 165(7–ख) में समावेश किया गया है।" धारा 158(3) का परंतुक इस प्रकार है कि कोई भी व्यक्ति लीज या वंटन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग॰ 1834/I/16 जिला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-6-16	1— आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सागर के प्र.क्र. 456/अ–23/2005–06 में पारित आदेश दि० 27–05–2008 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ बिलंव माफ किए जाने के लिये धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया है। 2— आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए बिलंब को माफ किया जाता है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि संहिता की धारा 165(7–ख), के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता है, परंतु संहिता की धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है। 4— आवेदक की ओर से तर्क मे यह भी कहा गया है कि तहसीलदार बांदरी के प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2000 के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत क्रंय सुधा भूमि को शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। यह भी तर्क किया गया है कि इस प्रकरण में पट्टा वर्ष 80–81 में दिया गया था और भूमि का विक्रय वर्ष 1990 में 10 वर्ष पश्चात् किया गया है। इसी बीच पट्टेदार को म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 16–1/84/07/2ए दिनांक 9/2/84 को भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किए गए थे। इस कारण अंतरण वर्ष 80–81 के वंटन पश्चात रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के अनुसार विक्रता को भूमि स्वामी हक प्राप्त हो गया था ऐंसी स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश उपरोक्त इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है,	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

5— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 22 वर्ष पूर्व किये गये विक्रय पत्र को शून्य किये जाने बावत् राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि क्रेता द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.—44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

6— आवेदक अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेंव निगरानीं की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 80—81 में दिया गया था और भूमि का विक्रय वर्ष 10.04.1990 में किया गया है। जो 10 वर्ष पश्चात् किया गया है ऐंसी स्थिति में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैध नहीं माना जा सकता। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.08 निरस्त किया जाता है परिणातः राजस्व अभिलेख में आवेदिका का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य